राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1378/2008/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन
घट–प्रथम,
भरतपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स कालरा स्टील ट्रेडर्स, भरतपुर । .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
एच0एल0पाण्डे, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीयअभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.
कोई नहीं । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :28.10.2009

15.12.09

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन,भरतपुर द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2008 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गयी शास्ति अन्तर्गत धारा 76(6) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.10.07 को वाहन संख्या आर.जे–29/जी–1629 को राजगढ़ रोड, अलवर में जांच हेतु रोका गया । वाहन में परिवहनीत माल "टी.एम.टी. बार" के संबंध में दस्तावेज जांच हेतु अपीलार्थी द्वारा चाहने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा मै0 कालरा स्टील ट्रेडर्स, भरतपुर का बिल नं0 986 दिनांक 28.10.07 तथा मै0 राजधानी ट्रांसपोर्ट कं0 नई मण्डी, भरतपुर की बिल्टी नं0 485 दिनांक 28.10.07 पेश किये। जिनकी जांच कर, अपीलार्थी ने प्रस्तुत वैट इन्वॉयस को कूटरचित होना अवधारित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी मै0 कालरा स्टील ट्रेडर्स, भरतपुर को उनके द्वारा जारी बिल नं0 986 दिनांक 28.10.07 का नियमित बिल बुक से सत्यापन वास्ते नोटिस जारी किया । नोटिस की पालना में अधिकृत प्रतिनिधि ने बिल बुक पेश की । जिसकी जांच कर, अपीलार्थी ने यह अवधारित किया कि मूल प्रति व इसकी ऑफिस कॉपी में पर्याप्त अंतर है।

लगातार...2

प्रमाणित प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर

अतः जांच के समय माल का परिवहन मिथ्या एवम् कूटरचित दस्तावेजों से परिवहनीत करना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया । नोटिस का जवाब अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित कर आदेश पारित किया । उक्त शास्ति आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर अपील स्वीकार कर ली कि अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति अनुचित एवम् अविधिक है क्योंकि माल का परिवहन विधिसम्मत दस्तोवजों से किया जा रहा था। वैट इन्वॉयस में 4 प्रतिशत की दर से वैट वसूल शुदा था । अतः बिना किसी जांच व सत्यापन के बिल को बोगस एवम् मिथ्या मानना उचित नहीं है । जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है ।

3. बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है । इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्ष पूर्णतः अनुचित एवम् अविधिक् है । विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में "वैट इन्वॉयस" की किसी जांच व सत्यापन के अभाव में अपीलार्थी द्वारा पारित शास्ति आदेश को अपास्त किया है, जबकि अपीलार्थी ने प्रारंभ में ही प्रत्यर्थी व्यवहारी को वैट इन्वॉयस की जांच एवम् सत्यापन नियमित रूप से संधारित बिल बुक से कराने हेतु नोटिस जारी किया है जो रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ 4 पर मौजूद है, एवम् सत्यापन के पश्चात् यह पाये जाने पर कि जांच के समय प्रस्तुत मूल वैट इन्वॉयस की "प्रति"जो पेश की गयी है, वह जांच के पश्चात् तैयार की हुयी है, जैसा कि इसमें "अंकित"कतिपय विवरण की लिखावट प्रथम दृष्ट्या "मूल प्रति" से भिन्न है । इस भिन्न पायी गयी लिखावट के आधार पर अपीलार्थी ने माल का परिवहन मिथ्या, कूटरचित दस्तावेजों से होना अवधारित किया है एवम् तद्नुसार इस संबंध में शास्ति आरोपित की गयी है,जो उचित है। इस संबंधमें अग्रिम अभिवाक् किया कि वाणिज्यिक जगत में करापवंचन के ईरादे से रास्ते के लिये माल के परिवहन के लिये दौरान तैयार दस्तावेजों की यदि यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जाती है तो कथित जारी मूल वैट इन्वॉयस का लेखा पुस्तिकाओं में इन्द्राज नहीं किया जाता है । इसी करापवंचन के तरीके (Modus-operandi) को समाप्त करने की दृष्टि से

लगातार...3

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 38 में तत्कालीन विक्रय कर अधिनियम व नियमों के प्रावधानों को तब्दील कर,भिन्न विशिष्ट व्यवस्था की गयी है कि विक्रेता पंजीकृत व्यवहारी द्वारा "वैट इन्वॉयस" की प्रति रखी जायेगी । परन्तु प्रकरण में "मूल वैट इन्वॉयस" की प्रति जानबूझकर करापवंचन के ईरादे से नहीं रखी गयी है । बल्कि इसे जांच के पश्चात् तैयार किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक एवम् अनुचित है । लिहाजा, इसे अपास्त कर अपीलार्थी के आदेश बहाल करने की प्रार्थना की है ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं है । अतः गुणावगुण पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर निर्णय किया जा रहा है । इस संबंध में निर्णय के पूर्व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 38 के प्रावधानों का अध्ययन करना आवश्यक है । जो इस प्रकार है :–

नियम 38– (1) A registered dealer, other than registered dealer who opts for payment of tax under sub-section(2) of section 3 or under section 5, making a taxable sale shall issue a VAT invoice marked as original to the purchaser for each such sales made by him and shall retain a copy thereof.

(2) The VAT invoice issued under sub-rule (1) shall contain the following particulars on the original as well as on the copies thereof.

(a) the word"VAT INVOICE" and in case the option under sub-section (7) of section 4 has been exercised the expression " INVOICE FOR TAX ON MRP" in bold letters at the top or at any prominent place;

(b) the name, address and registration number of the selling dealer;

(c) the name and address of the purchaser and where the purchaser is registered undeer the Act the registration number of the purchasing dealer;

(d) continuous serial number running throughout the year and the date on which the VAT invoice is issued.

(e) full description of the goods.;

लगातार...4

(f) the quantity or number, as the case may be, of the goods.

(g) the value of the goods sold,

(h) the rate and amount of tax charged theron indicated separately; and

(i) signature of the selling dealer, or his declared business manager or person authorized by the selling dealer.

जबकि तत्कालीन विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 76 के तहत् इस संबंध में प्रावधान इस प्रकार हैं:–

धारा 76(1)– "Every registered dealer shall, for each sale of goods exceeding rupees two hundred in value made by him, issue to the purchaser, a bill or a cash memorandum signed and dated by such dealer or his manager, agent or servant showing such particulars as may be prescribed, and a conterfoil or duplicate or such bill or cash memorandum shall be kept by him".

7. उपर्युक्त वर्णित दोनों अधिनियमों के ऊपर वर्णित प्रावधानों के गहन अध्ययन से विदित होता है कि वैट प्रणाली में इनपुट टैक्स केडिट, वैट इन्वॉयस के आधार पर ही उपलब्ध होने के कारण, वैट इन्वॉयस जारी करने के प्रावधान तत्कालीन विक्रय कर प्रणाली से भिन्न है । जैसा कि विक्रेता पंजीकृत व्यवहारी द्वारा जारी शुदा वैट इन्वॉयस की "प्रति" रखी जानी आवश्यक है । तत्कालीन विक्रय कर प्रणाली में बिल की प्रतिपर्ण या डुप्लीकेट प्रति रखी जानी आवश्यक थी, जिसे नयी व्यवस्था में कर रिसाव को रोकने के मद्देनजर बदल कर, वैट इन्वॉयस की 'प्रति' रखी जानी आवश्यक है, जिसमें विस्तृत विवरण नियम 38 के अनुसार अंकित किया जाया जाना बाध्यकारी है । अब हमारे समक्ष बिन्दु यह है कि क्या जांच के समय प्रस्तुत मूल वैट इन्वॉयस की 'प्रति 'प्रत्यर्थी' व्यवहारी द्वारा रखी गयी थी ? प्रस्तुत बिल बुक में संधारित "वैट इन्वॉयस" की प्रति, जो अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है, के प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मूल "वैट इनवॉयस" प्रति न होकर, बाद में तैयार की गयी प्रति है, जो शास्ति से बचने के लिये तैयार की गयी है । जैसा कि मूल इन्वॉयस की लिखावट से कथित इसकी "प्रति"(copy thereof) की लिखावट मिलान करने से प्रथम दृष्ट्या अन्तर दृष्टिगोचर होता है । रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ 6 व 9

लगातार...5

पर इन्वॉयस की दोनों प्रतियां मौजूद हैं । जिनकी लिखावट ''भिन्न'' होना प्रकट है, जो इस तथ्य को प्रकट करता है कि बिल बुक की प्रस्तुत प्रति मूल वैट इन्वॉयस की न होकर बाद में तैयार की गयी है, जो करापवंचन के ईरादे का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि मूल वैट इन्वॉयस किस हैसियत से विक्रेता व्यवहारी ने हस्ताक्षर कर, जारी किया है ? कहीं भी प्रकट नहीं है ? हस्ताक्षर भी पठनीय नहीं है । जबकि नियम 38 के आलोक में उक्त विक्रेता व्यवहारी स्वयम् अथवा उसका व्यवसायिक प्रबन्धक अथवा विक्रेता व्यवहारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही जारी किया जाँ सकता है । अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों व विधिक स्थिति के मद्देनज़र, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्ष कि प्रकरण में अग्रिम जांच व सत्यापन नहीं करने के कारण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी का आदेश अनुचित एवम् अविधिक है, उचित नहीं है क्योंकि मूल वैट इन्वॉयस तथा इसकी रखी गयी प्रति में अपीलार्थी द्वारा सत्यापन के दौरान पाया है कि 'प्रति' में लिखावट भिन्न है तथा 'प्रति' को बाद में तैयार कर, पेश करने के कारण शास्ति आरोपित की गयी है जो उचित है । अतः पारित आदेश अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी का आदेश बहाल किया जाता है ।

8. निर्णय सुनाया गया ।

(एच.एल.पाण्डे)
सदस्य

मिलान किया